नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 22 नवम्बर, 1986/1 अग्रहायण, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 17 नवम्बर, 1986

संख्या ई0 एक्स0-एन0 ई(4)-1/86.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1985 (1985 का 11) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1986 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**.—इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1985 अभिप्रेत है ;

(ख) "विक्रय कर नियम" से हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स रूल्ज, 1970 अभिप्रेत है ;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(घ) "अनुसूची-I" से अधिनियम से संलग्न अनुसूची-I अभिप्रेत है ;

(ङ) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधि. सेल्ज टैक्स ऐक्ट या सेल्ज टैक्स रूल्ज में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो इन अधिनियमों, सेल्ज टैक्स ऐक्ट या नियमों में क्रमशः उनके हैं।

3. धारा 3 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन कटौतियों और मुजराई का दावा करना.—(1) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के परन्तुक (1) के उप-खण्ड के प्रयोजन के लिए, ऐसे क्रय की बाबत छूट का दावा करने वाला व्यवहारी अपनी विवरणी (प्ररूप V में) के साथ, उस पंजीकृत व्यवहारी द्वारा, जिससे कथित माल खरीदा गया था, प्ररूप-I में सम्यक रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र संलग्न करेगा।

(2) कोई व्यवहारी जो, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के प्रथम खण्ड (ii) के अधीन कटौतियां या खण्ड (iii) के अधीन मुजराई का दावा करना चाहता हो, तो वह ऐसा दावा ऐसी अवधि के भीतर कर सकेगा जिसमें ऐसे माल का बाद में निपटान किया गया हो और वह अपनी विवरणी (प्ररूप-V में) के साथ, प्ररूप-ii में आवश्यक घोषणा-पत्र संलग्न करेगा।

(3) जब निर्धारण प्राधिकारी का, लेखा की ऐसी संवीक्षा और जांच के उपरान्त जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाता है कि व्यवहारी द्वारा किया गया दावा ग्राह्य है, तो वह इसे अनुमत करते हुए अपना आदेश अभिलिखित करेगा।

4. धारा 6 के अधीन, विपत्र, नकद-पत्र या बीजक जारी करने की रीति.—(1) धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अधीन, विपत्र नगद-पत्र या बीजक जारी करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, उसके द्वारा अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को स्थानीय माल के प्रत्येक विक्रय के लिए धारा 6 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कथन अभिलिखित करने के उपरान्त बिल, नगदपत्र या बीजक जारी करेगा। कथन, रबड़ स्टाम्प लगाकर अभिलिखित किया जा सकेगा और निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा:—

"—————————के लिए स्थानीय माल पर प्रवेश कर नहीं दिया गया।"

(स्थानीय क्षेत्र का नाम)

प्रत्येक ऐसा व्यवहारी प्रतिपर्णी या ऐसे प्रत्येक विपत्र, नगदपत्र या बीजक की दो प्रतियां भी तैयार करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी अपनी विवरणी (प्ररूप V में) के साथ प्ररूप III या प्ररूप IV में घोषणापत्र यथा स्थिति उचित निर्धारण प्राधिकारी के लिए संलग्न करेगा।

5. विवरणियां प्रस्तुत करना.—(1) कर का भुगतान करने वाला प्रत्येक व्यवहारी प्ररूप V में विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यवहारी वर्ष के अन्तर में विवरणी प्ररूप VI में दो प्रतियों में अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट माल के स्टाक का अतिशेष दर्शित करते हुए,—

(क) वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर जहां ऐसे व्यवहारी का कारोबार राज्य में केवल एक ही स्थान पर है; और

(ख) वर्ष की समाप्ति के एक सौ बीस दिनों के भीतर जहां ऐसे व्यवहारी का कारोबार राज्य में एक से अधिक स्थान पर है।

6. कर, शास्ति इत्यादि का संदाय.—प्रत्येक व्यवहारी, कर, शास्ति या देय या उस पर अधिरोपित ब्याज प्ररूप VII में चालान द्वारा अदा करेगा।

7. धारा 14 के अधीन मुजराई का दावा करना.—कोई व्यवहारी जो, स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश की बाबत धारा 14 के अधीन मुजराई का हकदार है, ऐसी मुजराई का दावा अपनी रिपोर्ट (प्ररूप-V) में करेगा।

प्ररूप-I

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (1) उल्लिखित माल के बारे व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण-पत्र

[नियम 3 (1) देखें]

1. मैं/हम ——————————————————————————में व्यवहारी/व्यवहारियों का/के (पूरा पता)——————— (माल का स्वरूप) के पंजीकृत प्रमाण-पत्र सं0 का/के धारक——————— ने खपाए———— के मूल्य के माल ——————————————को मैसर्ज —————————— को अपनी/हमारी विक्रय परिदान (माला) आर्डर सं0——————————तारीख ——————— के अनुसार बेचा है।

2. मैं/हम स्थानीय क्षेत्र ——————————————में ——————————हूँ और हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1985 के अधीन कर का संदाय करने के दायी होंगे और मैंने/हमने उक्त माल पर कर का संदाय कर दिया है। मैं/हम कर का संदाय करेंगे।

उक्त माल पर मैसर्ज ——————————————————————————(पूरा पता) ने पहले ही कर का संदाय कर दिया है जो रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र धारण करने वाले, हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी हैं।

स0 ——————————————————— और ————————————से माल (————) रुपए——————————————— (मूल्य) के लिए विक्रय/ परिदान आर्डर सं0——————द्वारा खरीदा।

विक्रेता व्यवहारी या उसके प्राधिकृत
अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

टिप्पणी-पैरा 2 में प्रथम विकल्प प्रथम विक्रेता को लागू होगा, जो कर का संदाय करने का स्वयं दायी होगा द्वितीय विकल्प पश्चात्‌वर्ती अवस्था में विक्रेता को लागू होगा।

———

प्ररूप-II

[नियम 3 (2) देखें]

मैं——————————————————————स्थानीय क्षेत्र——————————————का व्यवहारी, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल क प्रवेश पर कर अधिनियम, 1985 के अधीन धारक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या ————————————————एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि अनुसूची I में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित माल मैंने उस स्थानीय क्षेत्र ——————————————————में प्रवेश के पश्चात् उसी प्रकार बेचा है।

*(क) राज्य के बाहर;
*(ख) अन्तर-राज्य व्यापार या वाणिज्य; या
*(ग) भारत की सीमा के बाहर के निर्यात में और इस माल के संव्यवहार की प्रविष्टि मेरी लेखा पुस्तिका म की जा चुकी है।

क्रमांक	क्रेता का नाम और पता	बीजक सं0 और तारीख	माल का मूल्य	रेलवे रसीद/लौरी की ट्रिपशीट की सं0, और तारीख या कोई अन्य दस्तावेज या ट्रांसपोर्ट का अन्य साधन
1	2	3	4	5

स्थान——————————
तारीख——————————

विक्रेता व्यवहारी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के पूरे हस्ताक्षर और पूर्ण पता

*जो प्रयोज्य नहीं उसे काट दें।

———

प्रारूप-III

घोषणा-पत्र

[नियम 4 (2) देखें]

मैं——————————व्यवहारी हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1985 के अधीन स्थानीय क्षेत्र——————————में धारक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या ——————————एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि —————————— से प्रारम्भ होने वाले और ——————————को समाप्त होने वाले समय के दौरान मैंने अधिनियम के अधीन व्यवहारी, धारक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या—————————— मैसर्ज——————————को अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट स्थानीय माल उक्त स्थानीय क्षेत्र————में बेचा है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

2. मैं, और घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा बेचा गया माल उक्त स्थानीय क्षेत्र में मेरे द्वारा निर्मित/उत्पादित/उगाया गया था और मेरे द्वारा किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र से खरीदा/अर्जित/प्राप्त नहीं किया गया था और इसलिए स्थानीय क्षेत्र——————————के सम्बन्ध में स्थानीय माल है।—

*कि मेरे द्वारा उक्त व्यवहारी को बेचा गया माल स्थानीय माल है जिसको मैंने स्थानीय क्षेत्र—————— के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी मैसर्ज——————————से खरीदा है जिसकी खरीद के लिए मैंने प्ररूप IV में घोषणा-पत्र निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया है।

घोषणा पत्र पर बेचे गए माल का विवरण :–

क्रमांक	माल का विवरण, मात्रा और मूल्य	रजिस्ट्रीकृत विक्रेता द्वारा जारी किए गए कैशमिमो या बिल की संख्या और तारीख
1	2	3

तारीख : व्यवहारी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

*जो प्रयोज्य नहीं उसे काट दिया जाए।

प्रारूप— IV

घोषणा-पत्र

[नियम 4 (2) देखें]

मैं, व्यवहारी हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर, 1985 के अधीन स्थानीय क्षेत्र —————————————————में धारक रजिस्ट्रीकरण संख्या ——————————, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैंने ——————————से प्रारम्भ होने वाले —————————— को समाप्त होने वाले समय के दौरान अधिनियम के अधीन उक्त क्षेत्र के व्यवहारी धारक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या ——————————मैसर्ज ——————————से अनुसूची I में विनिर्दिष्ट माल खरीदा है और मैं पूरी तरह समझता हूं कि केवल स्थानीय क्षेत्र—————————— के सम्बन्ध में ऐसा माल स्थानीय माल है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

क्रमांक	माल का विवरण, मात्रा, मूल्य	विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी किए गए कैशमिमो या बिल की संख्या और तारीख
1	2	3

तारीख——————————

व्यवहारी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

प्रारूप-V

व्यवहारी द्वारा देय प्रवेश कर की विवरणी

[नियम 5 (1) देखें]

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

[विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख ------------------------------

प्राप्ति लिपिक के अद्याक्षर--]

से 19-----------------के-----------------------दिन समाप्त होने वाली अवधि के लिए देय प्रवेश कर की विवरणी

व्यवहारी का नाम --

व्यवहारी का पता --

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1985 के अधीन व्यवहारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की संख्या ------------------------

कारोबार के अतिरिक्त स्थान यदि कोई हों का नाम और पता :

(1) --

(2) --

(3) --

(4) --

भाग—क

	खरीद मूल्य	मण्डी मूल्य	कुल मूल्य
1. विवरणी अवधि के दौरान खरीद से भिन्न खरीदा गया/अर्जित या प्राप्त किया गया माल			
2. निम्नलिखित सम्बन्धी कटौतियां :			
(i) माल, जिस पर अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (2) के अधीन प्रवेश कर नहीं लगेगा (अधिनियम की अनुसुची-II में विनिर्दिष्ट माल)	-------	-------	-------
(ii) माल, जिस पर अधिनियम की धारा 3 के परन्तुक के अधीन कर नहीं लगेगा, अर्थात्—			
(क) अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रवेश कर से छूट प्राप्त माल	-------	-------	-------
(ख) माल, जिस पर अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (I) के अधीन कर नहीं लगेगा	-------	-------	-------
(ग) माल जिस पर अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) पर कर नहीं लगेगा, अर्थात् :— स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात् उसी रूप में माल राज्य से बाहर या अन्तर्राज्य व्यापार या वाणिज्य या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान बेचा गया है।			
(iii) उक्त (i) और (ii) का जोड़	-------	-------	-------

3. कर योग्य प्रमात्रा जिस पर प्रवेश कर देय है (1 से 2 घटाकर)————
4. कर योग्य प्रमात्रा का रेट-वाइज ब्रेक-अप

(1) @ 3 प्रतिशत ————
(2) @ 2 प्रतिशत ————
(3) @ 1 प्रतिशत ————

5. देय प्रवेश कर
6. मुजराई घटाकर :

(क) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (iii) के अधीन————
(ख) अधिनियम की धारा 14 के अधीन ————

7. देय कुल प्रवेश कर (5 से 6 घटाकर)। ————
8. चालान के साथ अदा किया हुआ प्रवेश कर, संख्या और तारीख ————

भाग—ख

अन्य राशियां जो भाग-क में सम्मिलित नहीं हैं

विशिष्टियां	राशि	अपवर्जित करने के कारण
1	2	3

तारीख———— हस्ताक्षर————

मेरे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त विवरणियां सही हैं।

हस्ताक्षर————

पावती

मैसर्ज ————से, जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या———— ———— तारीख ————की है, रुपये ————के लिए चालान संख्या ———— तारीख ————द्वारा 19 ————के ———— मास के ———— दिन को, ———— से प्रारम्भ होने वाली और———— को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विवरणी प्रारूप-V में प्राप्त की है।

तारीख ————

प्रापक अधिकारी

प्रारूप–VI

[नियम 5 (2) देखें]

अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट माल के अन्तिम अतिशेष की विवरणी

क्रमांक	माल का विवरण	प्रारम्भिक स्टाक (रुपयों में)	वर्ष के दौरान खरीदा गया/अर्जित/प्राप्त किया गया (रुपयों में)	वर्ष के दौरान निपटान (रुपयों में)	वर्ष के अन्त में अतिशेष (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				

टिप्पणी.—स्तम्भ 3 से 6 में जानकारी, मण्डी मूल्य या खरीद-मूल्य के अनुसार रुपयों में दी जाएगी, जैसी भी स्थिति हो।

तारीख ———————

व्यवहारी के हस्ताक्षर और
पूरा पता
रजिस्ट्रीकरण संख्या ————

प्रारूप —VII

("क" पर्ण)

(नियम 6 देखें)

(खजाना में रखा जाएगा)

प्रवेश कर चालान द्वारा सरकारी कोष/उप-कोष/भारतीय स्टेट बैंक/पटियाला की शाखा में अदा किया गया और शीर्ष लेखा "————————————हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर"

अधिनियम, 1985 के अधीन प्राप्तियों" के अधीन जमा किया गया।

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	व्यवहारी का नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या और केस संख्या यदि कोई हो, जिसकी ओर से राशि अदा की गई	के कारण संदाय	राशि (अंकों में दर्ज की जाएगी)
1	2	2	4
			रुपये पैसे
	(क) प्रवेश कर		
	(ख) शास्ति		

कुल रु0 ——————————(अंकों में)
रुपए——————————(शब्दों में)
तारीख ——————————

प्रमाणित करता हूं कि उक्त दी गई सभी विशिष्टियां सही हैं।

व्यवहारी या जमाकर्ता के हस्ताक्षर

प्राप्त और प्रदान की गई रसीद।

निर्धारण प्राधिकारी,
जिला ——————

खजाना या स्टेट बैंक में प्रयोग के लिए

1. रु0 ——————————(अंकों में)

रु0 ——————————(शब्दों में)
का संदाय प्राप्त किया।

2. प्रविष्टि तारीख ——————

निर्धारण प्राधिकारी की मोहर।

अभिकर्ता, भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक पटियाला या खजाने की स्टाम्प।

कोषपाल।

प्रारूप–VII ("ख" पर्ण)

(नियम–6 देखें)

(कोषपाल द्वारा निर्धारण प्राधिकारी को वापिस किया जायेगा)

प्रवेश कर चालान द्वारा सरकारी खजाने/उप-खजाने/भारतीय स्टेट बैंक/पटियाला शाखा में अदा किया गया

और लेखा शीर्ष"..............................में हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1985--प्राप्तियां" के अधीन जमा किया गया ।

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	व्यवहारी का नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या और केस संख्या यदि कोई हो, जिसकी ओर से राशि अदा की गई	के कारण संदाय	राशि (अंकों में दर्ज की जायेगी)
1	2	3	4
			रुपए पैसे
		(क) प्रवेश कर	....
		(ख) शास्ति	....

कुल रु0......................(अंकों में)
रुपए........................(शब्दों में)
तारीख....................

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त दी गई विशिष्टियां सही हैं।

व्यवहारी या जमाकर्ता के हस्ताक्षर।

प्राप्त और प्रदान की गई रसीद।

निर्धारण प्राधिकारी।

खजाने या स्टेट बैंक के प्रयोग के लिए

1. रुपये. ....(.......................)का संदाय प्राप्त किया।
(अंकों में) शब्दों में

2. प्रविष्टि की तारीख ....

निर्धारण प्राधिकारी की मोहर
अभिकर्ता, भारतीय स्टेट बैंक
या
स्टेट बैंक पटियाला
या
खजाने की स्टाम्प।

कोषपाल।

प्रारूप–VII ("ग" पर्ण)

चालान

(निम्न विवरणों या आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा)

प्रवेश कर, चालान द्वारा सरकारी खजाने/उप-खजाने/भारतीय स्टेट बैंक/पटियाला शाखा में अदा किया गया

और लेखा शीर्ष "..हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1985—प्राप्तियां" के अधीन जमा किया गया।

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	व्यवहारी का नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या और केस नं0, यदि कोई हो, जिस की ओर से राशि अदा की गई	क कारण संदाय	राशि (अंको में दर्ज की जायेगी)
1	2	3	4
			रुपए पैसे
		(क) प्रवेश कर	....
		(ख) शास्ति	....

कुल रु0 ....(अंको में)

रुपए..............................(शब्दों में)

तारीख..............................

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त दी गई विशिष्टि सही है।

व्यवहारी या जमाकर्ता के हस्ताक्षर

प्राप्त और प्रदान की गई रसीद।

निर्धारण प्राधिकारी

जिला....................

खजाने या स्टेट बैंक के प्रयोग के लिए

1. रु0....................(रुपये..) का संदाय
(अंकों में) (शब्दों में)
प्राप्त किया।

2. प्रविष्टि की तारीख..............................

निर्धारण प्राधिकारी की मोहर

अभिकर्ता, भारतीय स्टेट बैंक
या
स्टेट बैंक पटियाला
या
खजाने की स्टाम्प

कोषपाल।

प्रारूप-VII ("घ" पर्ण)
चालान
(नियम 6 देखें)
(व्यवहारी के पास रहेगा)

प्रवेश कर चालान द्वारा सरकारी खजाने/उप-खजाने/भारतीय स्टेट बैंक/पटियाला की शाखा में अदा किया गया और लेखा शीर्ष "....................हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर

अधिनियम, 1985—प्राप्तियां" के अधीन जमा किया गया।

जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	व्यवहारी का नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या और केस नम्बर, यदि कोई हो, जिस की ओर से राशि अदा की गई	के कारण संदाय	राशि (अंकों में दर्ज की जायेगी)
1	2	3	4
			रुपए पैसे
		(क) प्रवेश कर..................	
		(ख) शास्ति..................	

कुल रु0..........................(अंकों में)
रुपए..........................(शब्दों में)
तारीख....................
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त दी गई विशिष्टियां सही हैं।

व्यवहारी या जमाकर्ता के हस्ताक्षर।

प्राप्त और प्रदान की गई रसीद।
निर्धारण प्राधिकारी
जिला....................

खजाने या स्टेट बैंक के प्रयोग के लिए

रु0....................(रुपये....................................) का संदाय
(अंकों में) (शब्दों में)

प्राप्त किया।
प्रविष्टि की तारीख.............
निर्धारण प्राधिकारी की मोहर/अभिकर्ता, भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक पटियाला या खजाने की स्टाम्प।

कोषपाल।

आदेश द्वारा,
एस0 एस0 सिद्धू,
सचिव।

[*Authoritative English text of this Government notification No. EXN-E* (4)-1/86, *dated* 17-11-1986, *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 17*th November*, 1986

No. EXN. E (4)-1/86.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 1985 (Act No. 11 of 1985), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA RULES, 1986

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh

Tax on entry of Goods into Local Area Rules, 1986.

(2) These shall come into force at once.

2. *Definitions.*—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Tax on entry of Goods into Local Area Act, 1985;
(*b*) "Sales Tax Rules" means the Himachal Pradesh General Sales Tax Rules, 1970;
(*c*) "Section" means a section of the Act;
(*d*) "Schedule I" means Schedule-I appended to the Act; and
(*e*) all other words and expressions used herein but not defined but defined in the Act, in the Sales Tax Act or Sales Tax Rules, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act, Sales Tax Act or Rules.

3. *Claiming of deductions and set off under the first proviso of sub-section* (1) *of section* 3.—(1) For the purpose of clause (*i*) of the first proviso to sub-section (1) of section 3 of the Act the dealer claiming exemption in respect of such purchases shall append to his return (in Form V) a certificate in Form I duly filled in and signed by the registered dealer from whom the said goods were purchased.

(2) A dealer who wishes to claim deductions under clause (*ii*) or set off under clause (*iii*) of the first proviso to sub-section (1) of section 3 of the Act may claim the same in the period in which such goods are subsequently disposed of, and he shall append to his return (in Form V) necessary declaration in Form II.

(3) When the Assessing Authority is satisfied after such scrutiny of accounts and such enquiries as it considers necessary that claim of set off made by the dealer is admissible he shall record an order allowing the same.

4. *Manner of issue of bills, cash memo or invoice under section* 6.—(1) A registered dealer required to issue a bill, cash memo or invoice under sub-section (1) or sub-section (2) of section 6 shall, for each sale of local goods effected by him to another registered dealer, issue a bill, cash memo or invoice after recording therein the statement referred to in sub-section (1) of section 6. The statement may be recorded by affixing a rubber stamp and as far as may be, read as follows:—

"Local goods for................(enter here the name of local area) entry tax not paid."

Every such dealar shall also maintain the counterfoil or duplicate of each such bill, cash memo or invoice.

(2) A registered dealer shall append to his return (in Form V) a declaration in Form III or Form IV, as the case may be, to the appropriate Assessing Authority.

5. *Furnishing of returns.*—(1) Every dealer liable to pay tax under the Act shall furnish a return in Form V.

(2) Every such dealer shall furnish a statement in Form VI in duplicate giving the closing balance of the stock of goods specified in Schedule I at the end of the year,—

(*a*) within ninety days of the close of the year, where such dealer has only one place of business, in the State, and
(*b*) within one hundred and twenty days of the close of the year, where such dealer has more than one place of business in the State.

6. *Payment of tax, penalty etc.*—Every dealer shall pay the tax, penalty or interest due from

or imposed upon him, by challan in Form VII.

7. *Claiming of set off under section* 14.—A dealer who is entitled to a set off under section 14 in respect of the entry of goods into a local area, shall claim such set off in his return in Form V.

FORM-I

Certificate to be furnished by a dealer in respect of goods mentioned in clause (*i*) of the first proviso of sub-section (1) of section 3 of the Act

[*See* rule 3 (1)]

1. I/We...(full address) holder of registration certificate No..........................dealer in..............(specify the nature of goods) have sold ....(goods)............(quantity) for Rs..............(value) to M/s................in my/our sale delivery order No............dated..............

2. I am/we are..............in the.................local area and shall be liable to tax under the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 1985, and I/we have paid/shall pay tax on the above goods.

The above goods have already suffered tax at the hands of M/s.........(full address) who are registered dealers in Himachal Pradesh holding registration certificate No......... and from whom I purchased the...........(goods) *vide* sale/delivery order No............for Rs........(value).

Signature of the selling dealer or his authorised agent.

Note.—In paragraph 2, the first alternative applies to the first seller who is liable to make the payment of tax himself. The second alternative applies to seller at subsequent stages.

FORM-II

[*See* rule 3 (2)]

I...............a dealer of...............local area holding registration certificate No.....................dated......................under the Himachal Pradesh Tax on entry of Goods into Local Area Act, 1985, hereby declare that the following goods specified in the Schedule I have been sold by me in the same form after their entry into the............ local area,—

*(a) outside the State;
*(b) in the course of inter-State trade or commerce; or
*(c) in the course of export out of the territory of India, and the transanctions of these

goods have duly been entered in my books of account.

Sr. No.	Name and address of the purchaser	Invoice No. and date	Value of goods	Number and date of the Railway receipt/trip sheet of Lorry or any other document or other means of transport
1	2	3	4	5

Place................

Date................

Full signature and complete address of the selling dealer or his authorised agent.

*Strike out which is not applicable.

FORM-III

DECLARATION

[*See* rule 4 (2)]

I,..............a dealer holding registration certificate No................under the Himachal Pradesh Tax on entry of Goods into Local Area Act, 1985, in.................local area hereby declare that during the quarter commencing from......................and ending on................, I have sold in the said local area..................local goods specified in Schedule I the particulars of which are given below to M/s...........................a dealer holding registration certificate No.........................under the Act.

2. I further declare,—

*that the goods sold by me to the aforesaid dealer were manufactured/produced/grown by me in the said local area and were not purchased/acquired/obtained by me from any other local area and are as such local goods in relation to the local area of.....................

*that the goods sold by me to the aforesaid dealer are local goods purchased by me from a registered dealer M/s..................of...........local area and for the purchase of which a declaration in Form IV has been furnished by me to the Assessing Authority.

Particulars of goods sold on declaration:—

S. No.	Description of goods, quantity and price	No. and date of cash memo or bill issued by the selling registered dealer
1	2	3

Date....................

Signature of the dealer or his authorised agent.

*Strike out whichever is not applicable.

FORM-IV

DECLARATION

[*See* rule 4 (2)]

I,............a dealer holding registration No............under the Himachal Pradesh Tax on entry of Goods into Local Area Act, 1985, in local area...................hereby declare that during the quarter commencing from................and ending on............, I have purchased goods specified in Schedule I, the particulars of which are given below, from M/s ....a dealer of the said local area holding registration certificate No........... under the Act and I fully understand that such goods are local goods in relation to the local area of................only.

Particulars of goods purchased:—

Sr. No.	Description of goods, quantity and price	No. and date of cash memo or bill issued by selling registered dealer
1	2	3

Date.............. Signature of the dealer or his authorised agent.

FORM-V

RETURN OF ENTRY TAX PAYABLE BY A DEALER

[*See* rule 5(1)]

(To be filled in by the office)

Date of filing of return ....

Initials of receiving Clerk ....

Return of entry tax payable for the period from...................to.............. ending with the...............day of.........................19........

Name of the dealer..

Address of the dealer...

Dealer's Registration Certificate number under the Himachal Pradesh Tax on entry of Goods into Local Area Act, 1985..

Name and address of the additional place of business in Himachal, if any:—

(1) ....
(2) ....
(3) ....
(4) ....

PART-A

	Purchase value	Market value	Total value
1. Goods purchased and/or acquired or obtained otherwise than by way of purchase during the return period ..			
2. Deductions in respect of—			
(*i*) Goods not liable to Entry Tax under sub-section (2) of section 3 of the Act (Goods specified in Schedule II of the Act) ..			
(*ii*) Goods not liable to tax under provisos to section 3 of the Act, that is—			
(*a*) Goods exempted from Entry Tax under section 3 of the Act ..			
(*b*) Goods not liable to tax under clause (*i*) of first proviso to sub-section (1) of section 3 of the Act			
(*c*) Goods not liable to tax under clause (*ii*) of first proviso to sub-section (1) of section 3 of the Act *i.e.* the goods after entry into local area are sold in the same form outside the State or in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India ..			
(*iii*) Total of (*i*) and (*ii*) above ..			
3. Taxable quantum on which Entry Tax is payable (1 minus 2) ..			
4. Rate-wise break-up of taxable quantum—			
(*i*) @ 3% ..			
(*ii*) @ 2% ..			
(*iii*) @ 1% ..			
5. Entry Tax payable ..			
6. Less set off—			
(*a*) under clause (*iii*) of first proviso to sub-section (1) of section 3 of the Act ..			
(*b*) under section 14 of the Act ..			
7. Net Entry Tax payable (5 minus 6) ..			
8. Entry Tax paid with Challan No. and date ..			

PART-B

OTHER SUMS NOT INCLUDED IN PART-A

Particulars 1	Amount 2	Reasons for exclusion 3

Date................ Signature..........

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature..............

ACKNOWLEDGEMENT

Received return in Form V for the period beginning from........................ and ending with the................day of........................19..........from M/s..........................having registration No. ...., dated .... *vide* Challan No. ...., dated.............. for Rs. ....on the ....day of..........................19....

Date...................... .... Receiving Officer.

FORM-VI

[*See* rule 5(2)]

STATEMENT OF THE CLOSING BALANCE OF THE STOCK OF GOODS, SPECIFIED IN SCHEDULE-I AT THE END OF YEAR

Sl. No.	Description of the goods	Opening stock (in Rs.)	Purchased/ Acquired/ Obtained during the year (in Rs.)	Disposal during the year (in Rs.)	Closing balance at the end of the year (in Rs.)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Note.—Information in columns (3) to (6) be given in terms of market value or purchase value, as the case may be, in rupees.

Date.............. Signature and complete address of the dealer.

Registration No............

FORM VII ("A" Foil)

(*See* rule 6)

(To be retained in the Treasury)

CHALLAN OF ENTRY TAX PAID INTO GOVERNMENT TREASURY/SUB-TREASURY/ BRANCH OF THE STATE BANK OF INDIA/PATIALA.......................AND CREDITED UNDER THE HEAD OF ACCOUNT "..........." "RECEIPTS UNDER THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA ACT, 1985"

By whom tendered	Name, address, registration No. and case No., if any, of the dealer on whose behalf money is paid	Payment on account of	Amount (to be entered in figures)
1	2	3	4
			Rs. P.
		(*a*) Entry Tax ..	
		(*b*) Penalty ..	

Total Rs.........................(in figures). Rupees.....................(in words).

Dated................

Certified that all the particulars given above are correct.

Signature of the dealer or depositor.

Received and grant receipt.

Assessing authority.

District................

(For use in the Treasury or State Bank)

1. Received payment of Rs...................(in figures)

   Rupees................................(in words).

2. Date of entry.....................

Seal of Assessing Authority.

Agent State Bank of India
or
State Bank of Patiala
or
Stamp of Treasury.

Treasurer.

FORM-VII ("B" Foil)

(*See* rule 6)

(To be returned to the Assessing Authority by the Treasury)

CHALLAN OF ENTRY TAX PAID INTO GOVERNMENT TREASURY/SUB-TREASURY/ BRANCH OF THE STATE BANK OF INDIA/PATIALA..................... AND CREDITED UNDER HEAD OF ACCOUNT "......RECEIPTS UNDER THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA ACT, 1985".

By whom tendered	Name, address, registration No. & case No., if any, of the dealer on whose behalf money is paid	Payment on account of	Amount (to be entered in figures)
1	2	3	4
			Rs. P.
		(*a*) Entry Tax ..	....
		(*b*) Penalty ..	....

Total Rs................(in figures).
Rupees......................(in words).

Dated................

Certified that all the particulars given above are correct.

Signature of the dealer or depositor.

Received and grant receipt.

Assessing Authority.

District.....................

((For use in the Treasury or State Bank)

1. Received payment of Rs................(in figures) Rupees.............(in words).
2. Date of entry.............................

Seal of Assessing Authority.

Agent State Bank of India
or
State Bank of Patiala
or
Stamp of Treasury

Treasurer.

FORM-VII ("C" Foil)

CHALLAN

(*See* rule 6)

(To be attached by the dealer with return or application)

CHALLAN OF ENTRY TAX PAID INTO GOVERNMENT TREASURY/SUB-TREASURY/ BRANCH OF THE STATE BANK OF INDIA/PATIALA........................AND CREDITED UNDER THE HEAD OF ACCOUNT "..........RECEIPTS UNDER THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA ACT, 1985"

By whom tendered	Name, address, registration No., and case No., if any, of the dealer on whose behalf money is paid	Payment on account of	Amount (to be entered in figures)
1	2	3	4
			Rs. P.
		(*a*) Entry Tax	....
		(*b*) Penalty	....

Total Rs............................(in figures).

Rupees............................(in words).

Dated..................

Certified that all the particulars given above are correct.

Signature of the dealer or depositor.

Received and grant receipt.

Assessing Authority.

District..................

(For use in the Treasury or State Bank)

1. Received payment of Rs............(in figures) Rupees..............(in words)].
2. Date of entry..........................

Seal of Assessing Authority.

Agent State Bank of India
or
State Bank of Patiala
or
Stamp of Treasury

Treasurer.

FORM-VII ("D" Foil)

CHALLAN

(*See* rule 6)

(To be retained by the dealer)

CHALLAN OF ENTRY TAX PAID INTO GOVERNMENT TREASURY/SUB-TREASURY/ BRANCH OF THE STATE BANK OF INDIA/PATIALA..........................AND CREDITED UNDER THE HEAD OF ACCOUNT "...........RECEIPTS UNDER THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS IN TO LOCAL AREA ACT, 1985"

By whom tendered	Name, address, registration No. and case No., if any, of the dealer on whose behalf money is paid	Payment on account of	Amount (to be entered in figures)
1	2	3	4
			Rs. P.
		(*a*) Entry Tax	....
		(*b*) Penalty	....

Total Rupees...................(in figures)
Rupees.........................(in words).

Dated....................

Certified that all the particulars given above are correct.

Signature of the dealer or depositor.

Received and grant receipt.

Assessing Authority.

District................

(For use in the Treasury or State Bank)

1. Received payment of Rs..............(in figures) (Rupees.................in words).
2. Date of entry.......................

Seal of Assessing Authority.

Agent State Bank of India
or
State Bank of Patiala
or
Stamp of Treasury

Treasury.

By order,
S. S. SIDHU,
Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।